भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3561

दिनांक 13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कफ सिरफ के कारण अकाल मृत्यु के मामले

3561. श्री नारायण तातू राणेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में चिकित्सकों द्वारा दिए गए जाली/नकली कफ सिरप के कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में बच्चों की मृत्यु की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस गंभीर स्थिति के लिए ऐसे सिरप लिखने वाले चिकित्सकों और विनिर्माण दवा कंपनियों और संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अनेक बच्चों की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से क्रमशः एक महामारी विज्ञानी, एक सूक्ष्मजीवविज्ञानी, एक कीटविज्ञानी और औषधि निरीक्षकों सहित विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम ने छिंदवाड़ा और नागपुर का दौरा किया और मध्य प्रदेश राज्य अधिकारियों के समन्वय से रिपोर्ट किए गए मामलों और मौतों की विस्तृत जांच की। प्रभावित बच्चों द्वारा कथित तौर पर सेवन की गई कुल 19 औषधियों के नमूने, उपचार करने वाले निजी चिकित्सकों और आसपास के खुदरा स्टोरों से परीक्षण के लिए एकत्र किए गए। इन 19 नमूनों के रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि 15 नमूने मानक गुणवत्ता के थे, जबकि 4 नमूनों को मानक गुणवत्ता का नहीं (एनएसक्यू) घोषित किया गया। परीक्षण

रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल द्वारा विनिर्मित और मृत बच्चों द्वारा सेवन किए गए सिरप कोल्ड्रिफ (बी. नंबर एसआर-13) में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की मात्रा 46.28% w/v पाई गई।

मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के परिसर का निरीक्षण किया गया। अस्वच्छ भंडारण स्थितियों सहित कई गंभीर और अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के उल्लंघन पाए गए। सीडीएससीओ ने विनिर्माता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार से संपर्क किया। तमिलनाडु राज्य औषधि नियंत्रक ने विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद, घटना के मद्देनजर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, जहां विवादित कफ सिरप के बैचों की आपूर्ति की गई थी, ने तत्काल प्रतिबंध और वापसी का आदेश दिया। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और इसमें शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी सहित सख्त कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा, 3 अक्टूबर 2025 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को बच्चों के कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाजरी जारी की गई है। साथ ही, औषधि नियंत्रक (भारत) ने 7 अक्टूबर 2025 को सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों को औषधि नियम, 1945 के तहत परीक्षण अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और 27 अक्टूबर 2025 को उन्हें नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने और ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
